



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276205
CG-DL-E-15092026-276205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4835]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5025(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A (मालिया-पीपलीया) के कि.मी. 0 से कि.मी.18.6 (118 प्रथम तल, सेवा सदन, लाल बाग, मोरबी-363242) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी हळवद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A (मालिया-पीपलीया) के कि.मी. 0 से कि.मी.18.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: मोरबी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मालिया					
गांव का नाम: मोटी बरार					
1	177	निजी	कृषि	0.0631 (हेक्टेयर)	0.0631
2	186	निजी	कृषि	0.0531 (हेक्टेयर)	0.0531
3	204 P1	निजी	कृषि	0.112 (हेक्टेयर)	0.112
4	85	निजी	कृषि	0.1463 (हेक्टेयर)	0.1463
5	88	निजी	कृषि	0.1955 (हेक्टेयर)	0.1955
6	89	निजी	कृषि	0.0792 (हेक्टेयर)	0.0792
7	95	निजी	कृषि	0.1489 (हेक्टेयर)	0.1489
8	98	निजी	कृषि	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
9	99	निजी	कृषि	0.1207 (हेक्टेयर)	0.1207
गांव का नाम: सरवड					
10	101	निजी	गैर कृषि	0.1929 (हेक्टेयर)	0.1929
11	146	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
12	147/1	निजी	कृषि	0.1227 (हेक्टेयर)	0.1227
13	148	निजी	कृषि	0.0278 (हेक्टेयर)	0.0278
14	151	निजी	कृषि	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
15	152	निजी	गैर कृषि	0.3278 (हेक्टेयर)	0.3278
16	167	निजी	कृषि	0.1099 (हेक्टेयर)	0.1099
17	168	निजी	गैर कृषि	0.0384 (हेक्टेयर)	0.0384
18	169/1 P	निजी	कृषि	0.2622 (हेक्टेयर)	0.2622
19	170	निजी	कृषि	0.879 (हेक्टेयर)	0.879
20	170 P	निजी	गैर कृषि	0.0643 (हेक्टेयर)	0.0643
21	173 P	निजी	कृषि	0.3445 (हेक्टेयर)	0.3445

22	174	निजी	कृषि	0.0738 (हेक्टेयर)	0.0738
23	177	निजी	कृषि	0.132 (हेक्टेयर)	0.132
24	181 P	निजी	कृषि	0.5624 (हेक्टेयर)	0.5624
25	183 P	निजी	कृषि	0.3361 (हेक्टेयर)	0.3361
26	213	निजी	कृषि	0.0227 (हेक्टेयर)	0.0227
27	624 P	निजी	गैर कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
28	647	निजी	कृषि	0.2755 (हेक्टेयर)	0.2755
29	650	निजी	कृषि	0.1864 (हेक्टेयर)	0.1864
30	652	निजी	कृषि	0.0272 (हेक्टेयर)	0.0272
31	711	निजी	गैर कृषि	0.3436 (हेक्टेयर)	0.3436
32	715	सरकारी	खराबो	0.8956 (हेक्टेयर)	0.8956
Total					6.3444

[फा. सं. : D-2163/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5025(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH151A (Maliya-Pipaliya) in the stretch of land from Km. 0 to Km. 18.6 (118 1st Floor, Seva sadan, lal baugh, Morbi-363242) in the district of MORBI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Prant officer Halvad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-151A ((Maliya-Pipaliya) in the stretch of land from Km. 0 to Km. 18.6 (118 1st Floor, Seva sadan, lal baugh, Morbi-363242) in the district of MORBI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: MORBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Maliya					
Village: Moti Barar					
1	177	Private	Agriculture	0.0631 (Hectare)	0.0631
2	186	Private	Agriculture	0.0531 (Hectare)	0.0531
3	204 P1	Private	Agriculture	0.112 (Hectare)	0.112
4	85	Private	Agriculture	0.1463 (Hectare)	0.1463
5	88	Private	Agriculture	0.1955 (Hectare)	0.1955
6	89	Private	Agriculture	0.0792 (Hectare)	0.0792
7	95	Private	Agriculture	0.1489 (Hectare)	0.1489
8	98	Private	Agriculture	0.0205 (Hectare)	0.0205
9	99	Private	Agriculture	0.1207 (Hectare)	0.1207
Village: Sarvad					
10	101	Private	Non Agriculture	0.1929 (Hectare)	0.1929
11	146	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
12	147/1	Private	Agriculture	0.1227 (Hectare)	0.1227
13	148	Private	Agriculture	0.0278 (Hectare)	0.0278
14	151	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
15	152	Private	Non Agriculture	0.3278 (Hectare)	0.3278
16	167	Private	Agriculture	0.1099 (Hectare)	0.1099
17	168	Private	Non Agriculture	0.0384 (Hectare)	0.0384
18	169/1 P	Private	Agriculture	0.2622 (Hectare)	0.2622
19	170	Private	Agriculture	0.879 (Hectare)	0.879
20	170 P	Private	Non Agriculture	0.0643 (Hectare)	0.0643
21	173 P	Private	Agriculture	0.3445 (Hectare)	0.3445
22	174	Private	Agriculture	0.0738 (Hectare)	0.0738
23	177	Private	Agriculture	0.132 (Hectare)	0.132
24	181 P	Private	Agriculture	0.5624 (Hectare)	0.5624
25	183 P	Private	Agriculture	0.3361 (Hectare)	0.3361
26	213	Private	Agriculture	0.0227 (Hectare)	0.0227
27	624 P	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
28	647	Private	Agriculture	0.2755 (Hectare)	0.2755
29	650	Private	Agriculture	0.1864 (Hectare)	0.1864
30	652	Private	Agriculture	0.0272 (Hectare)	0.0272
31	711	Private	Non Agriculture	0.3436 (Hectare)	0.3436
32	715	Government	Kharabo	0.8956 (Hectare)	0.8956
Total					6.3444

[F. No. D-2163/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director